भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार एवं अपराधीकरण का अध्ययन

डॉ. गुलाब चन्द मीना
व्याख्याता (राजनीति विज्ञान)
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, टोंक

लोकतंत्र को आधुनिक काल में शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप माना जाता है और प्रायः सभी देश अपने आपको लोकतांत्रिक होने का दावा करते है। जनता की इच्छा की सर्वोच्चता, प्रतिनिधि सरकार, निष्पक्ष एवं समयबद्ध चुनाव, वयस्क मताधिकार, उत्तरदायी संवैधानिक सरकार, निष्पक्ष न्यायपालिका, राजनीतिक दलों की उपस्थिति तथा स्वतन्त्रता एवं अधिकार लोकतंत्र को एक अत्यन्त लोकप्रिय एवं स्वस्थ शासन प्रणाली मानने में प्रबल मददगार साबित होते है। यह निर्विवाद तथ्य है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक राष्ट्रों में इसे सबसे स्थिर लोकतंत्रों में सम्मिलित किया जाता है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय के दौरान इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए एक बार कहा था कि ''भारत लोकतंत्र का नखलिस्तान है, यह समसामयिक इतिहास की सच्चाई है।[1] यह बात तब और प्रबल लगती है जब हम अपने पड़ौसी राज्यों में लोकतंत्र की त्रासद स्थिति को देखते है। किन्तु फिर भी हमारे सामन प्रश्न है कि क्या हमारा लोकतंत्र सभी बुराईयों से परे एक आदर्श लोकतंत्र है। दरअसल, यदि आज हम देखें तो भारत में कोई प्रणाली, चुनाव पर आधारित या अन्य, पूर्ण रूप से आदर्शात्मक लोकतंत्र की छवि प्रस्तुत नहीं करती, हमारी राजनीति और विशेष तौर पर हमारी निर्वाचन प्रणाली इसका अपवाद नहीं है।

भारत में निर्वाचन व्यवस्था एवं अपराधीकरण

भारत की चुनाव प्रणाली मुख्य रूप से धनशक्ति, बाहुबल और मंत्रिपद की ताकत अर्थात सरकारी तंत्र के दुरूपयोग से पीड़ित है। इसे राजनीतिक अपराधीकरण और भ्रष्टाचार भी कहा जा सकता ह।

भारत में चुनाव भ्रष्टाचार का प्रतिरूप बन गये है। निर्धन, अनपढ़ एवं ग्रामीण जनता को धन, मदिरा आदि देकर वोट खरीदना आम बात है। भ्रष्टाचार और आतंक के सभी रूप चुनावों के दौरान देखने को मिलते हैं, इनमें भय, आतंक, जालसाजी, अपहरण, विरोधी उम्मीद्वारों को खरीदना आदि सम्मिलित है। चुनावों से पूर्व सरकार ऐसी कई नई योजनाओं और रियायतों की घोषणा कर देती है, जिससे मतदाता भ्रमित हो सकता है। इस प्रकार सार्वजनिक धोखे भी चुनाव के समय सरकार के लिये वोट पाने के साधन बन जाते है। विदेशी धन का प्रयोग भी खुल कर किया जाता है, विदेशी धन विभिन्न संगठनों एवं संस्थाओं के माध्यम से वितरित किया जाता है। साथ ही देशी धन का वितरण भी विभिन्न माध्यमों से होता है। मतदाता का राजनैतिक व्यवहार इन सभी बातों से अत्यधिक प्रभावित होता है। यद्यपि गुप्त मतदान व्यवस्था होने के कारण यह कहना कठिन है कि इनमें से कौनसा तत्व सार्वधिक प्रभावशाली रहा।

चुनाव में बेईमानी करने के लिये बाहुबल का बढ़ता दुरूपयोग न केवल निर्वाचन आयोग के लिये चिन्ता का विषय है वरन् समूचे राष्ट्र के लिए भी चिन्ता का सवाल है। जनता और मतदाता सभी राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण से गंभीर रूप से चिन्ति है। सक्रिय राजनेता 1970 के उत्तरार्द्ध तक मतदाताओं को डरा–धमका कर और जबरन बूथों पर कब्जा कर चुनाव जीतने के लिये अपराधियों और स्थानीय बाहुबलियों का इस्तेमाल किया करते थे। एक बार जब इन अपराधी और असामाजिक तत्वों को यह लगने लगा कि नेता लोग उनकी सहायता से ही चुनाव जीतते हैं, तो वे स्वंय ही चुनाव मैदान में उतरने लगे। उनकी निगाह में यह एक सर्वोत्तम व्यवसाय है, जो न केवल उन्हें राज्य (सरकार) की शक्ति प्रदान करेगा, बल्कि उनकी अन्य गतिविधियों के लिये राज्य की संरक्षा और सुरक्षा भी प्रदान करेगा।

अपराधी कौन होता है, यह परिभाषित करना कठित है। मुख्यतः पश्चिम से अनुप्रेरित भारतीय न्याय प्रणाली के अंतर्गत, कोई भी व्यक्ति तब तक निर्दोष होता है जब तक न्यायालय

उसे अपराधी न ठहराए। किन्तु आम आदमी की धारणा है कि वह व्यक्ति भी जिस पर किसी अपराध के आरोप में मुकदमा चल रहा हो, वह भी अपराधी है। आम आदमी माफिया, डॉन, हिस्ट्रीशीटर अथवा विभिन्न दुष्टतापूर्ण गतिविधियों में शामिल कुख्यातत बदमाश को भी अपराधी मानता है। वह इस बात को कैसे पासंद कर सकता है कि हत्या, बलात्कार, डकैती, फिरौती, भयादोहन अथवा सार्वजनिक धन की हेराफेरी जैसे घ्रणित अपराधों का आरोपी न्यायिक फैंसला सुनाए जाने से पूर्व ही ससंद या विधानसभा या किसी भी निर्वाचित संस्था में, महज इस आधार पर उसका प्रतिनिधित्व करना चाहे कि मुकदमें का निर्णय आने में समय लग रहा है।[2]

वर्तमान कानून (जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 8) में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को ससंद अथवा राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने से केवल उसी समय आयोग्य घोषित किया जा सकता है, जब वह अपराधी करार दिया जा चुका हो। इसी धारा 9 के अंन्तर्गत, अधिकतर मामलों में केवल अपराधी करार दिया जाना ही अयोग्य घोषित करने के लिये पर्याप्त नहीं है, उसे एक निश्चित अवधि के लिये कैदी बन कर सजा भी काटनी होगी। धारा 8 की समान्य दफा में अपराधी करार दिये जाने और कम से कम दो वर्ष की कैदा की सजा के बाद ही अयोग्य घोषित किये जाने का प्रावधान है।

आश्चर्य की बात यह है कि 1997 के पहले, सभी खामियों और कमजोरियों के बावजूद वर्तमान कानून पर भी ईमानदारी से अमल नहीं किया जा रहा था तथा इस विचार को मान्यता दी जा रही थी कि इस धारा 8 के तहत कोई भी व्यक्ति अपराधी तभी घोषित हुआ जाना जाएगा जब अपीली अदालत उसे ऐसा घोषित करें, प्राथमिक अदालत द्वारा अपराधी घोषित करना पर्याप्त कारण नहीं है। इस प्रकार, हत्या, डकैती, उग्रवादी कृत्यों जेसे घ्रणित अपराधों के दोषी भी अपील के लंबित होने के दौरान मजे से चुनाव लड़ रहे होते थे। चुनाव आयोग ने इलाहबाद और मुम्बई उच्च न्यायालया के निर्णयों के बाद ही 28 अगस्त 1997 को घोषित किया कि संसद और विधानसभाओं के चुनाव लड़ने के लिए संबंधित धारा 8 के अंतर्गत अयोग्य घोषित होने की तारीख की शुरूआत उसी दिन से मानी जाएगी जब प्राथमिक अदालत ने उसे सजा सुनाई थी, भले ही वह अपनी अपील/पुनर्विचार के प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के दौरान जमानत पर छूटा हुआ हो।[3]

आयोग ने यह निर्देश जारी किया कि अब उम्मीदवारों को आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में हलफनामें (शपथ–पत्र) के साथ, अपने अपराधों के बारे में घोषणा करनी पड़ेगी। आयोग ने सभी पोठासीन अधिकारियों को यह स्पष्ट कर दिया कि इस तरह की घोषणा और शपथ पत्र न देने वाले उम्मीद्वारों का नामांकन पत्र यदि वे निरस्त करते है तो वे पूर्णतया उचित कर रहे होंगे। प्राथमिक अदालत द्वारा अपराधी करार दिए जाने की तारीख से अयोग्य ठहराए जाने क बारे में आयोग ने धारा 8 के तहत जो नजरिया अपनाया था, उसके बारे में कुछ लोगों ने संदेह जताया था, परन्तु उच्च्तम न्यायालय ने बी.आर. कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य (एफआईआर 2001 एससी 3435) (कु.जे. जयललिता को अयोग्य घोषित करने वाले मुकदमें के रूप में चर्चित) तथा के.प्रभाकरण बनाम टी.जयराजन (एफआईआर 2002 एससी 3393) के मामलों में स्पष्ट कर दिया कि अपराध के कारण अयोग्य घोषित होने की शुरूआत प्राथमिक अदालत द्वारा अपराधी घोषित किए जाने की तिथि से ही लागू मानी जाएगी, परन्तु उच्चतम न्यायालय के बाद में नवजोत सिंह सिद्धू बनाम पंजाब राज्य (2007 टीएलएस 43432) मामले में कहा कि यदि अपीली अदालत ने न केवल सजा देने पर रोक लगा दी है और जमानत दे दी है, बल्कि अपील की सुनवाई के दौरान अपराधी ठहराए जाने पर भी रोक लगा दी है, तो अपराध के कारण अयोग्यता पर भो तब तक रोक लगी रहेगी।[4]

कानून की धारा 8 (4) में एक और विवादास्पद प्रावधान है जो कहता है कि यदि अपराध घोषित होने की तारीख में अपराधी, संसद अथवा विधान मंडल का सदस्य होता है, तो उस मामले में अयोग्यता तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होगी, बल्कि उसे कम से कम तीन महीने के लिए स्थगित कर दिया जाएगा और यदि इस तीन महीने की अवधि के दौरान, घोषित अपराधी महज अपील या पुनर्विचार की याचिका दायर कर देता है, तो उस पर अपील अथवा पुनर्विचार याचिका के निपटारे तक अयोग्यता लागू नहीं होगी। जनप्रतिनिधियों के विषय में इस तरह का उदार दृष्टिकोण समझ से परे है। वास्तव में कानूनन को तो इस तरह के व्यक्तियों के प्रति, जो कानून के निर्माता होते हैं और जिनसे समाज को अनुकरणीय और बेदाग चरित्र की अपेक्षा होती है, ज्यादा सख्ती दिखानी चाहिए। कानून द्वारा प्रदत्त इस प्रावधान को एक आजीवन उपहार माना जाता था किन्तु उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय

देकर इसे सीमित कर दिया कि धारा 8 (4) के तहत् वर्तमान संसद सदस्यों और विधान मंडल के सदस्यों को प्राप्त अयोग्यता से सुरक्षा का यह प्रावधन उनको वर्तमान सदन की सदस्यता के दौरान ही प्राप्त होगा, भविष्य में लड़े जाने वाले चुनावों के लिये नहीं।[5]

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि किस तरह कमजोर एवं त्रुटिपूर्ण कानूनों के चलते चुनावी अपराधीकरण को एक प्रकार से समर्थन प्राप्त हुआ है जिसका खामियाजा भारतीय जनता को उठाना पड़ रहा है।

भारत में चुनाव भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार जीवन की एक सच्चाई बन गई है। यह अनेक रूपों में दिखाई देता है और यह जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करता है। यह जनसामान्य के जीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है।

भ्रष्टाचार विभिन्न प्रकार का पाया जाता है और इस को परिभाषा प्रत्येक देश में अलग अलग है। इसका आंशिक कारण यह है कि यह काफी कुछ उस देश की आर्थिक स्थिति और जन अवधारणा पर निर्भर करता है।

यद्यपि भारत के विस्तृत संविधान के द्वारा कानून के शासन, मानवाधिकारों की रक्ष, सुशासन, सामाजिक समानता जैसे लाभ सुनिश्चित करने के लिये सावधानीपूर्वक लोकतान्त्रिक व्यवस्था की रचना की गई है लेकिन भ्रष्टाचार उच्च स्तर पर व्यापक रूप से चल रहा है। प्रायः देखा गया है कि सार्वजनिक महत्व के पदों पर मौजूद व्यक्तियों द्वारा भ्रष्टाचार की शुरूआत चुनाव के साथ ही हो जाती है। खर्च की जाने वाली धनराशि के हिसाब से चुनाव प्रक्रिया बहुत बड़ा आयोजन है। चुनाव के बहुत पहले ही प्रायः हर चुनाव क्षेत्र में सत्ताकांक्षियों द्वारा हजारों वाहन चुनाव कार्यों में लगा दिये जाते है। हजारों–लाखों पर्चे और करोड़ो पोस्टर छापे और बांटे जाते है। लाखों बैनर बनाये और लगाये जाते है। झण्डे लगाये जाते हैं, होर्डिंग्स लगाये जाते हैं और हजारों–लाखों लाउड स्पीकरों से प्रचार किया जाता है। अनेक वायदें किये जाते है। वीआईपी और वीआईपी आते–जाते है और बहुत से विमानों और टैक्सियों को किराये पर लिया जाता है। राजनीतिक पार्टियां सत्ता लोभ में करोड़ों रूपये उड़ा देती है फिर भी न तो इनका कोई हिसाब–किताब रखा जाता है और न ही कोई इनकी

जिम्मेदारी लेता हैं, न कोई यह बताता है कि उसे यह पैसा कहां से मिलता है। किसी लोकतंत्र में जहॅा कानून के शासन की बात होती है वहॅा कानून का उल्लंघन और काले धन की अश्लील प्रदर्शनी देखी जा सकती है।[6]

वर्तमान समय के अन्तर्गत भारत में चुनावी भ्रष्टाचार बढ़ा है। बुनियादी तौर पर इसका कारण यह कि चुनाव प्रचार–प्रसार का खर्च बढ़ गया है। यद्यपि निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले चुनाव खर्च की सीमा तय कर दी है लेकिन राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव में किये जाने वाले खर्च की कोई सीमा तय नहीं है और न ही उन पर विनियमन करने वाले कोई नियम है। इस समय एक नियम हैं, जिसके अन्तर्गत हर उम्मीदवार और राजनीतिक दल द्वारा चुनाव खर्च का विवरण पेश करना पड़ता है, लेकिन इन पर नजर रखने का कोई प्रभावी तंत्र नहीं है। इस पर पूर्णतः नजर रख पाना संभव भी नहीं है, इस कारण भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। चुनावी खर्च के अधिकांश लेन–देन नकद किये जाते हैं इसलिये इनकी मानीटरिंग करना भी कठिन है, निर्वाचन आयोग अपने प्रेक्षकों के जरिये मानीटरिंग की कोशिश जरूरत करता है। आजकल चुनाव प्रचार बहुत आक्रमक और प्रतिस्पर्धी होता जा रहा है। इस काम में प्रिन्ट मीडिया एवं इलेक्ट्रॅानिक मीडिया दोनों का जमकर इस्तेमाल किया जाता है। इस कारण भी चुनाव खर्च बढ़ गया है और निधियों की जरूरत भी बढ़ गई है।

परिणामस्वरूप पार्टियॅा और उम्मीदवार दोनों ही अपने प्रचार अभियान में कालेधन का इस्तेमाल करते है। चुनाव अभियान संचालन के लिये पर्याप्त राशि एवं बाहुबल की भी जरूरत पड़ती है। चालू प्रवृत्तियों के परिणामस्वरूप अच्छे उम्मीद्वारों द्वारा चुनाव लड़ने की संभावनाएं कम हो गई है। यह भ्रष्टाचार चुनावी प्रक्रिया के आगे भी जारी रहता है, भारी खर्च करके सांसद/विधायक बना उम्मीदवार इस उम्मीद में रहता है कि वह पद का दुरूपयोग करके काफी आय अर्जित करें। इसके कारण जवाबदेही और संवेदनशीलता की भावना प्रभावित होती है। अक्सर कानून की सर्वोपरिता का उल्लंघन किया जाता है। व्यापारियों के पैरवीकार सरकारी फैसलों को तोड़–मरौड़कर अपने पक्ष में कराने की कोशिश करते हैं। जब सांसद/विधायक ही कानून के उल्लंघनकर्ता हों तो सरकार में निष्ठा की संस्कृति नहीं रह पाती। आम आदमी लोकतंत्र में विश्वास खो देता है।[7]

— 9 —

चुनावी भ्रष्टाचार : राजनीतिक–सामाजिक

भारतीय चुनावी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार एक मुख्य मुद्दा रहा है। भ्रष्टाचार मुख्य रूप से अपराध एवं अन्डरवर्ल्ड की गतिविधियों से जुड़ा रहा है, इसलिये इसका एक वीभत्स रूप हमें देखने को मिलता है। सामान्य दृष्टि से तो भ्रष्टाचार एक नैतिक मुद्दा है, लेकिन कानूनी सत्ताऐं कानून लागू करके या इस पर सख्त नजर रख कर, इसे जड़ से मिटाने में पूर्णतः कामयाब नहीं हो पायी है। चुनाव की घोषणा होते ही चुनाव आयोग के प्रतिनिधि पूरे देश में प्रत्याशियों की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखने का प्रयत्न करते है। इसका मकसद अनैतिक गतिविधियों जैसे घूसखोरी, डराने – धमकाने तथा सत्ता के दुरूपयोग को रोकने का या इसे चुनाव से दूर रखने का होता है। प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक प्राण चौपड़ा के अनुसार ''भारतीय चुनाव व्यवस्था अपराधीकरण से ओतप्रोत है। बाहुबल, धन का प्रभाव तथा भ्रष्टाचार सभी चुनावी व्यवस्था के अभिन्न अंग बन गये है। चुनावी व्यवस्था का पतन इस हद तक हो गया है कि चुनाव जीतने के लिये सभी प्रकार की अनैतिक एवं अवैधानिक पद्धतियों का उपयोग चुनाव के दौरान किया जाता है। यह तथ्य इस बात से और अधिक स्पष्ट हो जाता है, जब हम देखते है कि चौदहवीं लोकसभा के ससंदीय सत्रों में कुल 332 ही बैठके हो पायीं जबकि इससे पहले तेरहवीं लोकसभा के संसदीय सत्रों में कुल 332 ही बैठकें हो पायी जबकि इससे पहले तेरहवीं लोकसभा के संसदीय सत्रों में 356 बैठकें हुयी थी। इस प्रकार संसदीय सत्रों के क्रियाकलापों एवं कार्य निष्पादन के लिये निर्धारित समय में से 423 घण्टे अर्थात कुल समय का 24 प्रतिशत संसद में रोकटोक तथा अव्यवस्था में ही खराब हो गया। यहां गन्तव्य केवल इतना स्पष्ट करना है कि यदि प्रतिनिधि ही भ्रष्ट एवं आपराधिक साधनों को अपनाकर या अन्य इसी प्रकार की पृष्ठभूमि का सहारा लेकर चुनाव जीतकर आयेंगे तो देश का भविष्य अंधकारमय ही रहेगा। वर्तमान में पन्द्रहवीं लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया देश में चल रही है यदि इस चुनाव में राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशियों पर ही दृष्टीपात करें तो कमोवेश सभी ने आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को अपना उम्मीदवार बनाया है। बहुजन समाजवादी

पार्टी ने अभी कुछ समय पहले उत्तरप्रदेश में अपने 80 प्रत्याशियों को सूची जारी की थी, जिसमें आठ प्रत्याशी आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं।

चुनाव आयोग की इस संदर्भ में भूमिका अत्यन्त कष्टप्रद एवं त्रिशंकु जैसी ही होती है क्योंकि एक ओर वह लचर कानूनों के कारण सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाता है और दूसरी ओर लोकतंत्र की रक्षा करने के लिये आपराधिक एवं भ्रष्ट आचरण पर अंकुश लगाना चाहता है। यहां पर राजनीतिक दलों की भूमिका का भी अपना एक महत्व है। प्रत्येक अवांछनीय गतिविधि को नियंत्रित करने के लिये मात्र चुनाव आयोग पर निर्भर रहना उचित नहीं है। राजनीतिक दलों को भी चुनाव प्रक्रिया के दौरान संयम बरतना चाहिये। यदि विगत दो–तीन दशकों में सम्पन्न हुये चुनावों पर दृष्टीपात करें तो दृष्टिगत होता है कि चुनावी भ्रष्टाचार अन्ततः राजनीतिक दलों की महत्वाकांक्षाओं और उनकी मूल्यरहित राजनीति के कारण ही बढ़ा है। राजनीतिक दलों ने जहां एक ओर बाहुबलियों एवं हिस्ट्रीशीटरों को अपना प्रत्याशी बनाया है वहीं दूसरी ओर चुनाव जीतने, सत्ता में बने रहने तथा विरोधी प्रत्याशी को हर संभव–असंभव तरीके से परास्त करने मेंअनुचित, अनैतिक और आपत्तिजनक क्रियाओं का सहारा लिया है। हाल ही में श्री मनमोहन सिंह की सरकार को बचाने के लिये कथित रूप से भारतीय जनता पार्टी के तीन सांसदों को रूपये देकर खरीदने का प्रकरण दूरदर्शन पर समस्त भारतीय जनता के समक्ष आया था। इसी प्रकार कुछ समय पूर्व उत्तर प्रदेश में औरइया जिले के एक इंजीनियर एम.के.गुप्ता की नृशंस हत्या कथित रूप से वहां के बाहुबली नेता श्री शेखर तिवारी द्वारा इसलिये कर दी गयी बतायी कि इंजीनियर एम.के.गुप्ता ने श्री शेखर तिवारी की पार्टी अध्यक्ष के जन्म दिन पर निर्देशानुसार भारी मात्रा में धन एकत्रित कर देने में असमर्थता प्रकट कर दी थी। इन घटनाओं की सत्यता की प्रमाणिकता तो न्यायिक निर्णय आने के उपरांत ही सिद्ध हो पायेगी, लेकिन इतना अवश्य स्थापित हो जाता है कि राजनीतिक दल और उनके नेतागण के मध्य सत्ता लोलुपता और आर्थिक सम्पन्नता का भूत इस तरह हावी है कि वे इसे प्राप्त करने के लिये किसी भी सीमा तक जा सकते हैं।

जनप्रतिनिधियों की योग्यता का विषय संविधान सभा केसमक्ष भी आया था। डा. राजेन्द्र प्रसाद ने उस समय दुःख व्यक्त किया था कि जिस संविधान को वे सर्वश्रेष्ठ मानते है तथा

जिसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवियों द्वारा श्लेषित और समर्थित किया जायेगा उसमें व्यवस्थान कार्य को अंजाम देने वालों के लिये कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। इस विषय पर पण्डित जवाहरलाल नेहरू और डा. राजेन्द्र प्रसाद के मध्य विवाद भी हुआ किन्तु मुद्दे को कभी अनैतिक अथवा जातिगत या साम्प्रदायिक नहीं बनाया गया। विवाद मुख्य रूप से मुद्दा आधारित होते थे, दूरदर्शन की उपलब्धता नहीं होते हुये भी वे मुंहजुवानी देशभर में चर्चा का विषय बन जाते थे और पण्डित नेहरू उन पर अपना वक्तव्य देते थे। श्रीमती इन्द्रिरा गांधी के काल में राजनीति मुद्दों से हटकर व्यक्ति आधारित हो गई थी इंदिरा भारत और भारत इंदिरा हो गया था। जनता के पास कोई और विकल्प नहीं था, जनसंघ उनके अनुसार अति साम्प्रदायिक थी। कालान्तर में जब श्रीमती इंदिरा गांधी आपातकाल के दौरान कथित रूप से निरंकुश हुयीं तो 1977 के आम चुनाव में जनता ने उन्हें सत्ताच्युत कर दिया। इस चुनाव में भारतीय मतदाता ने जनता पार्टी को सत्ता सौंपी लेकिन जनता पार्टी की सरकार लगभग ढाई वर्ष बाद ही अल्पमत में आ गयी। इस काल में भारत की जनता ने जनता पार्टी के नेताओं के बीच महत्वकांक्षाओं की जंगी देखी। 1980 के चुनाव में पुनः मतदाताओं ने श्रीमती इंदिरा गांधी को सत्ता सौंप दी। श्रीमती इंदिरा गांधी के इस चुनाव के उपरांत व्यक्तित्व का सम्प्रदाय सत्ता के लालच में परिवर्तित हो गया। समय के साथ नेताओं पर यह दाग और गहरा होता चला गया। सत्ता प्राप्त करना ही राजनीतिक दलों का प्रथम और अन्तिम उद्देश्य बन गया। एन. डी.ए. हो या यू.पी.ए. सभी का एक ही लक्ष्य हो गया सत्ता प्राप्ति। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये न केवल राष्ट्रीय राजनीतिक दल वरन् क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने भी जितने भ्रष्ट या अनैतिक कदम उठाये, उनका तोड़ खोजना मुश्किल है।[8]

चुनाव लोकतंत्र का जीवन है, प्राण है, पर जब चुनाव इस प्रकार से लडा जाता है जिस प्रकार भारतीय राजनीतिक दल लड़ रहे हैं यथा घृणा भरे भाषणें का प्रयोग, अवांछनीय आरोप–प्रत्यारोप, नीतिगत मुद्दों का चुनाव में अभाव, भाषायी एवं जातिगत आधार पर प्रत्याशियों का चयन इत्यादी तो फिर भारतीय लोकतंत्र का भविष्य खतरे में नजर आता है।

जनसंचार माध्यमों की भूमिका इस दिशा में सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही तरह से दृष्टिगोचर होती है। वर्तमान समय में अध्ययनत जागरूक संचार माध्यम न केवल जनता

को राजनीतिक शिक्षा देने वरन् उसे विभिन्न राजनीतिक विकल्पों से आत्मसात करने का भी कार्य कर रहे है। संचार माध्यमों की संख्या में बढ़ोतरी तथा जनता के मध्य इनकी आसान उपलब्धता इन्हें अत्यन्त महत्वपूर्ण बना देती है। जनजागृति, संचार साधनों की महत्वपूर्ण उपलब्धि होते हुये भी इनके द्वारा किये गये स्ट्रिंग ऑपरेशन इत्यादि पर यदि दृष्टिपात करें तो इन पर नियंत्रण रखने की भी आवश्यकता इंगित होती है। दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों व अखबारों पर किसी पार्टी विशेष का एजेंट होने के आरोप ीाल लगते रहे है। चुनाव के दौरान संचार माध्यमों की भी धन प्राप्ति की लालसा अत्यधिक बढ़ जाती है। विभिन्न प्रत्याशियों से विज्ञापन हेतु पैकेज डील के प्रयास किये जाते है। ऐसा माना जाता है कि प्रत्याशी द्वारा संचार माध्यमों से किये गये पैकेज डील के आधार पर ही अखबार या इलेक्ट्रोनिक मीडिया के कवरेज एरिया के अंतर्गत प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार हेतु स्थान पाता है। संचार माध्यमों की इन कमियों के कारण अनेकों बार इनके द्वारा प्रस्तुत विश्लेषणों को भी शक की दृष्टि से देखा जाता है। स्वस्थ, निष्पक्ष और जनकल्याण को ध्यान में रखकर यदि जनसंचार माध्यमों द्वारा अपनी भूमिका का निर्वाह भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में यिका जाये तो सही मायने में यह लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ की तरह इसे एक मजबूत सहारा दे सकते है और भारत में प्रचलित चुनाव प्रक्रिया को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास कर सकते है।

भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग अत्यन्त प्रबुद्ध है, किसी भी लोकतांत्रिक देश को अपने इस वर्ग की विशेषता का सहारा लेने की आवश्यकता पड़ती ही है। भारत में जनसंचार माध्यमों ने इस वर्ग के विचारों एवं इनके राजनीतिक विश्लेषण को अत्यन्त सटीकता से प्रस्तुत किया है। आज जिस निर्भीकता से यह वर्ग जनजागृती को भी शक की दृष्टि से देखा जाता है। स्वास्थ्य, निष्पक्ष और जनकल्याण को ध्यान में रखकर यदि जनसंचार माध्यमों द्वारा अपनी भूमिका का निर्वाह भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में किया जाये तो सही मायने में यह लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ की तरह इसे एक मजबूत सहारा दे सकते है और भारत में प्रचलित चुनाव प्रक्रिया को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास कर सकते है।

भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग अत्यन्त प्रबुद्ध है, किसी भी लोकतांत्रिक देश को अपने इस वर्ग की विशेषता का सहारा लेने की आवश्यकता पड़ती ही है। भारत में जनसंचार माध्यमों ने इस

वर्ग के विचारों एवं इनके राजनीतिक विश्लेषण को अत्यन्त सटीकता से प्रस्तुत किया है। आज जिस निर्भीकता से यह वर्ग जनजागृति और जनता की सोच को प्रभावित कर रहा है वह सराहनीय है। किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर अपने बहुमूल्य विचार प्रस्तुत कर या जनता के साथ विचारों का आदान प्रदान कर, यह वर्ग एक नई सोच को विकसित करने में मददगार हो रहा है। आज संचार माध्यमों की मदद से बुद्धिजीवी वर्ग चुनावी भ्रष्टाचार और राजनीतिक अपराधीकरण पर खुल कर चर्चा करते हुये जनशिक्षा का जिम्मा संभाल रहा है। भविष्य में तो यह एक आशा की स्थायी किरण नजर आती है, लेकिन वर्तमान संदर्भ में यह वर्ग सैद्धान्तिक दृष्टि से तो इस समस्या पर कार्य कर रहा है, व्यावहारिक रूप में चुनाव भ्रष्टाचार को पूर्णतः समाप्त करने में अभी यह अपने आपको सक्षम नहीं पा रहा है। इसका कारण साफ तौर पर दृष्टिगोचल होता है कि विशाल भारत में विभिन्न भाषाओं, विभिन्न धर्मों, विभिन्न क्षैत्रों, विभिन्न जातियों, विभिन्न पहनावें वाले लगभग 125 करोड़ व्यक्ति निवास करते हैं जिन्हें एक सूत्र में पिरोना अत्यन्त जटिल कार्य है। बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा अभी सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही हैं, शनैः शनैः ही इस पर विचार करने लगा है, भविष्य में इसे समाप्त करने के लिये संकल्पित भी होगा, ऐसी आशा की जाती है कि भारतीय मतदाता शनैःशनै इतना जागृत हो जायेगा कि वह इस भ्रष्टाचार के विरूद्ध अपना मत देकर भारतीय लोकतंत्र को नई दिशा एवं दशा प्रदान कर सकेगा।

वस्तुतः चुनावी भ्रष्टाचार एवं अपराधीकरण हमारी राजनीतिक संस्कृति के रूप में एक स्थायित्व ग्रहण कर लें इससे पहले ही न केवल सख्त कानूनों द्वारा, चुनाव आयोग की गम्भीर देखरेख एवं चुनावों के संचालन पर नियंत्रण द्वारा, जनसंचार माध्यमों और बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा मतदाता के नैतिक एवं मानसिक सोच के उत्थान द्वारा इसका प्रतिकार तो किया जाना आवश्यक है ही किन्तु साथ में आम जनता का भी इसमें सार्थक सहयोग आवश्यक है। राजनीतिक दलों ने अपनी तुच्छ महत्वाकांक्षाओं और सत्ता लोलुपता के कारण जिस राजनीतिक अनैतिकता को जन्म दिया है, उसके स्थान पर इन्हें अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिये अपने दल के संगठन की सुदृढ़ता, जनता के मध्य अपने जनहितकारी कार्यो और विचारों की स्वस्थ प्रस्तुति, इन दलों के नेताओं द्वारा आम जनता के मध्य अपनी अच्छी छवि

एवं अपने दल के वैचारिक आधार को मजबूत करना आदि कदम उठाने चाहिये। यदि यह सभी सुधारात्मक कदम, सभी सम्बन्धित अभिकरणों द्वारा नहीं उठाये गये तो भारतीय लोकतंत्र द्वारा भविष्य में गम्भीर चुनौतियों से साक्षात्कर किया जाना अवश्यम्भावी है।

भारतीय चुनाव प्रणाली में भ्रष्टाचार व अपराधीकरण को रोकने के प्रावधान व सुझाव :–

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को सभी उम्मीदवारों से उनकी परिसम्पत्तियों, देनदारियों और शैक्षिक योग्यता के साथ–साथ अपराधों की पूर्ववर्ती जानकारी यदि कोई हो तो, प्राप्त करने के निर्देश दिए। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार निर्वाचन आयोग ने सभी उम्मीदवारों को उन सभी आपराधिक मामलों की जानकारी देने को कहा है जिनमें उन्हें पूर्व में अपराधी घोषित किया गया था अथवा न्यायालय द्वारा लगाये गये आरोपों का संज्ञान लेने के बाद उन पर मुकदमा चल रहा है। यह जानकारी एक निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र के साथ देनी होती है। शपथ पत्र नहीं दाखिल करने की स्थिति में उसका नामांकन पत्र निरस्त किया जा सकता है। जनसंचार के सभी माध्यमों को अधिकार है कि वह उम्मीदवार संबंधी समस्त सूचनाएँ प्रसारित कर सकते हैं। चुनावों पर नजर रखने वाले गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रचारित करने के अलावा इसे आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है।[9]

मौजूदा कानून के तहत् चुनावी मुकाबलों से अपराधी तत्वों को बाहर रखने के अपने प्रयासों के तहत् आयोग ने सन् 2005 में यह आदेश जारी किया कि जिन लोगों के खिलाफ अदालतों द्वारा जारी गैर जमानती वारन्ट पर 6 महीने या अधिक समय से अमल नहीं किया गया हैं, उनके नाम मतदाता सूचियों से हटा दिये जाऐं। ऐसा करने का अर्थ है कि इस तरह का व्यक्ति न तो चुनाव लड़ सकता है और न ही मतदान कर सकता है। आयोग के इस तरह के आदेश को देखते हुए अनेक फरार अपराधियों ने न्यायालय के समक्ष समर्पण किया है। आयोग, राजनीतिक दलों से बारम्बार अपील करता रहा है कि वे चुनावों में सिर्फ, स्वच्छ, सार्वजनिक छवि रखने वाले अच्छे उम्मीदवारों को ही उतारें।[10] दुर्भाग्य से अधिकांश मामलों में इन अपीलों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और अपने दुष्कर्मो के लिये कुख्यात लोगों को

अनेक दलों ने चुनाव मैदान में उतारा। इनमें राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल और राज्य स्तरीय दल भी शामिल है।

इस समस्या का सही निवारण तो कानून में परिवर्तन से होगा, क्योंकि कानून ने ही इन आपराधिक और असामाजिक तत्वों को चुनावी मैदान में उतरने की अनुमति दे कर निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धता को कलुषित किया है। आवश्यकता है कि चुनावीं भ्रष्टाचार की बुराई युद्धस्तरीय प्रयासों के जरिये दूर की जाए ताकि हमारी आगामी पीढ़ियों के लिये लोकतंत्र सुरक्षित हो सकें।[11]

एक महत्वपूर्ण उपाय है चुनावी सुधार और खास तौर से राजनीतिक दलों के वित्तीय सुधार। हालांकि रेडियो और टी.वी. पर राजनीतिक दलों को कागज, ईंधन आदि के रूप में सहायता देने के भी सुझाव दिये गये हैं। हर रूप में भाई–भतीजावाद, सत्ता लोभ, मुनाफाखोरी और कालाबाजारी को रोकने में कामयाबी ही, भ्रष्टाचार को समाप्त करने में सक्षम हो सकेगी। चुनाव आयोग द्वारा प्रसारित नियन्णकारी एवं बाध्यकारी कानूनी प्रावधान, राजनीतिक दलों का स्वच्छ आचरण जनसंचार माध्यमों की नैतिक जिम्मेदारीपूर्ण भूमिका तथा बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का उत्थान कर जनजागृहित हेतु प्रयास ही चुनावी भ्रष्टाचार एवं अपराधीकरण की समस्या से मुक्ति दिला सकते हैं।

संदर्भ

1 मेन्दीरत्ता, एस.के.: क्रिमीनलाईजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, योजना, दिल्ली, जनवरी 2009, पृ.15

2 वही, पृ.15–16

3 क्रिमीनलाईजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ए थ्रेट टू डेमोक्रेसी, डीएनए, इण्डिया, 2004 पृ.39

4 कन्सलटेशन पेपर ऑन रिव्यू ऑफ इलैक्शन लॉ, प्रोसेस एण्ड रिफॉर्म ऑप्शन्स, जनवरी 8, 2001, विज्ञान भवन, न्यू देहली , पृ. 109

5. साजद, के.एम. : क्रिमीनाईजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड द ओमीनस ट्रेन्डस इन इण्डियन डेमोक्रेसी, इन फ्यूचर ऑफ पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी इन इण्डिया (सं.) जी. गोगा कुमार, आईकन पब्लिकेशन्स, न्यू देहली, 2007 पृ.254

6. कृष्णमूर्ती, टी.एस.:इलेक्टोरल करप्शन, योजना, देहली, जनवरी, 2009 पृ. 23–24

7. राजहंस, जी.एस. : क्रिमीनलाईजेशन, रोल ऑफ मनी, मसल पॉवर एण्ड इलेक्टोरल मालप्रक्टिसेज इन नेशनल रिसर्जेन्स थ्रो इलेक्टोरल रिफॉर्मस (सं.) सुभाष सी.कश्यप, शिप्रा पब्लिकेशन्स, देहली, 2002 पृ. 222

8 The Sunday Times, Sunday, April 19, 2009, Available at http://sundaytimes.lk/090419/International/Sunday times international-01/html

9. साहू, एन.के. : इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन फैडरल इण्डिया, ज्ञान बुक्स, न्यू देहली, 2008, पृ.127

10. अली, रेहाना : द वर्किंग ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया, जनानोदा प्रकाशन, न्यू देहली, 2001 पृ. 166

11 जे.एम.लिंगदोह, ऑन ''इलेक्टोरल रिफॉर्मस इन इण्डिया'', सिक्स्थ श्री गुट्टा रामाराव लैक्चर, न्यू देहली, 10 जनवरी, 2009